राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5 (अभि.)/सीटीएडी/विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण/18–19/ दिनांक :

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा मे विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर का पत्रांक 886 दिनांक 04.08.20 एवं 1272–73 दिनांक 11.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 6187–95 दिनांक 02.03.2020 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा मे विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 40.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–3 मे वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या–6 मे वर्णित राशि की निम्नानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी–स्वच्छ परियोजना (राशि लाखो मे)

क्र.स.	प.स.	नाम व स्थान	प्रशा. स्वी. राशि	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6
1	कुशलगढ	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा मे (संख्या 4) विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य	40.00	PO/SWACH /BSW /58/18.06.20	**49.00**

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं–77/18–19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्ते–

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राज्य परियोजना निदेशक, RMSA तकमीना व ड्राईंग अनुसार कार्य का सम्पादन किया जावे। **आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण करवाया जावें।**
3. **राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।**
4. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमो की पालना निश्चित करते हुए निविदा आमंत्रण कर कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावें।

कृ.पृ.उ.

5. स्वीकृत कार्यो के third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।

-sd-
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ–5 (अभि.)/सीटीएडी/विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण/18–19/25571-82 दिनांक 24/10/20
प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं–77/18–19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि में से स्वीकृत लागत 49.00 लाख की 80 प्रतिशत राशि 39.20 लाख (अक्षरे उनचालीस लाख बीस हजार मात्र) निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तान्तरित करें।
6. प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ जिला बांसवाडा।
7. परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना बांसवाडा।
8. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in

(3)